संख्या-101/2015/3132/26-3-2015-(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1-निदेशक,समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर 2015

विषयः- 30 जून, 2015 तक मान्यता प्राप्त, मास्टर डाटा में सम्मिलित होने से अवशेष रह गयी शिक्षण संस्थाओं हेतु समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2235/स0क0/शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-09.09.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त ऐसी शिक्षण संस्थायें जिनकी मान्यता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु शैक्षिक सत्र 2015-16 में निर्धारित तिथि 15 जुलाई तक मास्टर डाटा में सम्मिलित नहीं हो पायी थी, को मास्टर डाटा में सम्मिलित होने हेतु विशेष परिस्थितियों में 10 दिन (दिनांक-11.09.2015 से दिनांक-20.09.2015 तक) का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतएव उपरोक्त से अवगत होते हुये शैक्षिक सत्र 2015-16 में मास्टर डाटा में शिक्षण संस्थाओं के सम्मिलित होने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ.संख्या-101/2015/3132(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उच्च शिक्षा, मा0 शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in